

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-44/2324/पांच-8-2016-जी0(132)/2016

लखनऊ : दिनांक 02 सितम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से डा0 अंकिता दुबे, चिकित्साधिकारी, अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर को स्वानुरोध पर स्थानान्तरित करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, इलाहाबाद के अधीन एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2- डा0 अंकिता दुबे, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान पद से कार्यमुक्त होकर तत्काल नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

डा0 नीरज शुक्ला

विशेष सचिव।

संख्या-44/2324(1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ।
- 2- अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद/वाराणसी मण्डल,
- 4- मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर/इलाहाबाद।
- 5- कोषाधिकारी, जौनपुर/इलाहाबाद।
- 7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 8- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,



(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-43/2614/पांच-8-2016-म0(04)/2015

लखनऊ: दिनांक 02 सितम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-79/1413/पांच-8-2015-म0(04)/2015, दिनांक 11-05-2015 द्वारा लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की चयन संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान/वेतन बैंड रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर डा0 मोनिका शुक्ला की नियुक्ति/तैनाती मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर के अधीन की गयी। डा0 मोनिका शुक्ला पी0जी0 कोर्स में अध्ययनरत होने के कारण तत्समय कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकी थी।

2- अतः सम्यक विचारोपरान्त डा0 मोनिका शुक्ला, चिकित्साधिकारी की अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर की गई तैनाती को संशोधित करते हुए उन्हें मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी (एफ0आर0यू0) के अधीन एतद्वारा तैनात किया जाता है।

3- डा0 मोनिका शुक्ला, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

4- कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11-05-2015 की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

डा0 नीरज शुक्ला

विशेष सचिव।

संख्या-43/2624(1)/पांच-8-2016-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ।
- 4- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद/लखनऊ मण्डल ।
- 5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी/सीतापुर।
- 8- कोषाधिकारी, बाराबंकी/सीतापुर।
- 9- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 10- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-45/2489/पांच-8-2016-मो(345)/2012

लखनऊ: दिनांक 02 सितम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2478/पांच-8-2014-मो(345)/2012, दिनांक 18-09-2014 द्वारा लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की चयन संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान/वेतन बैंड रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर डा0 सुन्दारिका यादव की नियुक्ति/तैनाती मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी के अधीन की गयी। डा0 सुन्दारिका यादव पी0जी0 कोर्स में अध्ययनरत होने के कारण तत्समय कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकी थी। शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1877/ पांच-8-2016-जी0(119)/2016, दिनांक 28-06-2016 द्वारा जिला महिला चिकित्सालय, बांदा में तैनात किया गया था। डा0 सुन्दारिका यादव के दिनांक रहित पत्र द्वारा अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर नियुक्ति/तैनाती स्थल परिवर्तित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः सम्यक विचारोपरान्त डा0 सुन्दारिका यादव, चिकित्साधिकारी की जिला महिला चिकित्सालय, बांदा में की गई तैनाती को संशोधित करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, रायबरेली के अधीन एतद्वारा तैनात किया जाता है।

3- डा0 सुन्दारिका यादव, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि तैनाती स्थल पर एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

4- कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18-09-2014 की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

डा0 नीरज शुक्ला
विशेष सचिव।

संख्या-45/2489(1)/पांच-8-2016-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ।
- 4- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद/चित्रकूट धाम मण्डल ।
- 5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी/रायबरेली।
- 8- मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, बांदा।
- 9- कोषाधिकारी, बाराबंकी/बांदा/रायबरेली।
- 10- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 11- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

u.o.m.n

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।